न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—439 / 2020

प्रार्थीगण:—

1. घेवरराम पुत्र श्री पदमाराम
2. पुंजाराम पुत्र श्री पदमाराम
3. भैरूलाल पुत्र श्री पदमाराम

जाति सुथार, निवासी भेड़

तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:— तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थीगण की ओर से — अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी की ओर से — सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक:— 12/3/2022

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 772 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 784 रकबा 0.3157 हैक्टेयर ग्राम भेड़ में आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण के पिता पदमाराम पुत्र श्री भीयाराम है जबकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करते वक्त प्रार्थीगणं के पिता का नाम दुदा पुत्र भीया दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम पदमाराम पुत्र भीयाराम है। खसरा नम्बर 787 रकबा 0.0405 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 788 रकबा 2.4443 हैक्टेयर मौजा ग्राम भेड़ जो प्रार्थीगण के नाम से है जिसमें प्रार्थीगण का नाम दर्ज करते वक्त प्रार्थी संख्या 2 का नाम पुंजाराम के स्थान पर पुनाराम दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी संख्या 3 का नाम भैरूलाल के स्थान पर भैराराम दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम पदमाराम के स्थान पर मदा दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम घेवरराम,

Scanned with CamScanner

पुंजाराम, भैरूलाल पि. पदमाराम है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दर्ज करने थे। उपरोक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूलवश कारित हुई है। उक्त त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि बाबत् सुधार कार्य रूके हुए है, जिसके बाबत् किसान क्रेडिट कार्ड व ऋण इत्यादि लेने में भी भयंकर समस्या हो रही है जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजों में नाम सही दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भेड़ की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 772 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 784 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, ग्राम भेड़ में प्रार्थीगण के पिता का नाम दुदा पुत्र भीया जो दर्ज किया गया है उसके स्थान पर वास्तविक नाम पदमाराम पुत्र भीयाराम दर्ज किये जाने बाबत् आदेश सादिर फरमाया जावें इसी प्रकार खसरा नम्बर 787 रकबा 0.0405 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 788 रकबा 2.4443 हैक्टेयर मौजा ग्राम भेड़ में प्रार्थी संख्या 2 का नाम पुनाराम के स्थान पर पुंजाराम तथा प्रार्थी संख्या 3 का नाम भैराराम के स्थान पर भैरूलाल व प्रार्थीगण के पिता का नाम मदा के स्थान पर पदमाराम दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जाकर रेकर्ड दुरस्त करवाया जावें।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि ख.न. 772, 775, 784 कुल रकबा 1.9020 हैक्टेयर में दूदा पि. भीया के स्थान पर पदमाराम पि. भीयाराम दर्ज किया जाना तथा ख.न. 787, 788 कुल रकबा 2.4848 में घेवरराम पि. मदा के स्थान पर घेवरराम पि. पदमाराम, पूनाराम पि. मदा के स्थान पूंजाराम पि. पदमाराम तथा भेराराम पि. मदा के स्थान पर भैरूलाल पि पदमाराम दर्ज किया जाना उचित है। गवाह फूलाराम पुत्र श्री मंगलाराम के बयान लिये गये तथा अन्य गवाह सरपंच ग्राम पंचायत भेड़, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भेड़, राणीदानसिंह पुत्र आईदानसिंह, चुनाराम सांगाराम सुथार, ने टिप्पणी को सही बताया। अप्रार्थी का जवाब व गवाह के बयान शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम पदमाराम पुत्र भीयाराम है प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम पुंजाराम तथा प्रार्थी संख्या 3 का सही नाम भैरूलाल है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Scanned with CamScanner

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 772 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 784 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, ग्राम भेड़ में प्रार्थीगण के पिता का नाम दुदा पुत्र भीया जो दर्ज किया गया है उसके स्थान पर वास्तविक नाम पदमाराम पुत्र भीयाराम दर्ज किये जाने व खसरा नम्बर 787 रकबा 0.0405 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 788 रकबा 2.4443 हैक्टेयर मौजा ग्राम भेड़ में प्रार्थी संख्या 2 का नाम पुनाराम के स्थान पर पुंजाराम तथा प्रार्थी संख्या 3 का नाम भैराराम के स्थान पर भैरूलाल व प्रार्थीगण के पिता का नाम मदा के स्थान पर पदमाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक......12/3/22........ को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner